

क्रमांक 3311011/छ.ग./2009/  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ-भवन,  
नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर,  
अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /07/2019

प्रति,

मुख्य अभियंता,

1. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
3. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
4. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
5. हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर
6. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, ज.सं.वि., रायपुर
7. परियोजना प्रशासक, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर
8. परियोजना प्रशासक, हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, बिलासपुर


विषय :- गुणवत्ता सतर्कता स्कॉड का गठन-शासनादेश की प्रति सौपने बाबत।

- संदर्भ :-
1. छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर का आदेश क्रमांक 670/184/व्ही.आई.पी./31/स्था./2016 दिनांक 13.02.2017.
  2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3311011/छ.ग./2009/2667 दिनांक 22.02.2017.

—000—

विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर का आदेश क्रमांक एफ-01-09/31/स्था./2019 दिनांक 19.06.2019 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।


सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

  
अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,  
अटल नगर, जिला-रायपुर  
रायपुर, दिनांक 24/07/2019

पृष्ठा. क्रमांक 3311011/छ.ग./2009/ 9309  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के संदर्भ में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।  
(स.क्र. 02 हेतु)

  
अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,  
अटल नगर, जिला-रायपुर  
12/07/19

129

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

—:: आदेश ::—

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19.06.2019

क्रमांक एफ 01-09/31/स्था./2019 :: राज्य शासन एतद्वारा, जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच/आकस्मिक निरीक्षण हेतु गुणवत्ता सर्तकता स्क्वॉड के गठन संबंधी जारी आदेश क्रमांक 670/184/व्हीआईपी/31/स्था/2016, दिनांक 13.02.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(वृन्दावन सेन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

जल संसाधन विभाग

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 19.06.2019

पृष्ठा. क्र. एफ 01-09/31/स्था./2019  
प्रतिलिपि:-

1. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
  2. निज सचिव, सचिव/संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,
  3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
  4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर,
  5. समस्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, .....
  6. संबंधित अधिकारी..... द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
  7. आदेश फोल्डर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग

331  
21/6  
21/6  
21/6  
22/06/19